हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001
Email:, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्रमांक 984/अधिष्ठाता/शोध/2021 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021

//शोध केन्द्र को सूचना//

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुक्रम में समस्त शोध केन्द्र/शोध निर्देशकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है –

1. समस्त शोध केन्द्र/शोध निर्देशक विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ।
2. **विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त शोध केन्द्रो को यह निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय शोध समिति DRC की बैठक शोध केन्द्रो में दिनांक 25/02/2021 से 11/03/2021 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करे ।**
3. समस्त शोध निर्देशक विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 525/अका./शोध/2018, दुर्ग दिनांक 14/09/2018 वर्गवार आबंटित सीट का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्ति करे ।
4. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021 में पात्र अभ्यर्थियों/प्रवेश परीक्षा सत्र 2019 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों/प्रवेश परीक्षा सत्र 2018 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों जिन्हे विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 923/अधिष्ठता/शोध/2021, दुर्ग, दिनांक 17/02/2021 में अतिरिक्त समय देते हुये मान्य किया गया है को इस सत्र 2021 की DRC में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम जारी दिनांक से दो वर्ष की पात्रता होती है किन्तु प्रवेश परीक्षा से छूट अभ्यर्थी केवल उसी सत्र हेतु पात्र होंगे जिस सत्र में प्रवेश परीक्षा से छूट दिया गया है ।
6. **शोध केन्द्र DRC की बैठक में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से पी–एच.डी. आवेदन के समय मांगी गई समस्त दस्तावेजा की 2 सेट पी–एच.डी. प्रवेश फार्म/पंजीयन सहित जमा करावे एवं उक्त दोनो सेट के पंजीयन फार्म में शोध निर्देशक हस्ताक्षरित सहमति देवे एवं अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजो की मूलप्रति को Verifiy कर शोध केन्द्र में प्रवेश देना सुनिश्चित करें ।**
7. संबंधित शोध केन्द्र अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश देने के पूर्व आवश्यकतानुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) अनिवार्य रूप से लेवे ***छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालय को छोड़ कर अन्य (छत्तीसगढ़ के निजी/राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।***
8. शोध केन्द्र अभ्यर्थियों से अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) - (अशासकीय संस्था में कार्यरत हो/शासकीय संस्था में कार्यरत को नियमानुसार उच्च शिक्षा विभाग/अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लवे ।
9. **अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र मे दिनांक 22/03/2021 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा । अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नही दिया जावेगा।**

10. **समस्त शोध केन्द्र विभागीय शोध समिति में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे संबंधित शोध निर्देशक/सह–शोध निर्देशक के हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त हो चुका है एवं शोध केन्द्र में शुल्क जमा कर प्रवेश ले लिया गया है उनकी सूची संलग्न प्रारूप अनुसार जानकारी भर कर पी–एच.डी. सेल में दिनांक 26/03/2021 तक अनिवार्य रूप से जमा करावे ।**
11. **पी.एच.डी. कोर्स–वर्क अध्ययन समय सीमा दिनांक 01/04/2021 से 30/09/2021 अर्थात छः माह की होगी तद्पश्चात् पी–एच.डी. कोर्सवर्क परीक्षा आयोजित किया जावेगा।**
12. समस्त शोध केन्द्र पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2021 में प्रवेशित शोधार्थियों के पी–एच.डी. कोर्स–वर्क की नियमित कक्षाये शोध केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से प्रारंभ करें ।
13. विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य पाठ्यक्रमो के अनुसार ही पी.एच.डी. कोर्स–वर्क के शोधार्थियों की उपस्थिति शोध केन्द्रों में न्यूनतम 75% होना अनिवार्य है । प्रर्याप्त उपस्थिति नही होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी । जिसके लिए शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. समस्त शोध केन्द्र पी–एच.डी. शोधार्थियो की उपस्थिति, उपस्थिति पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करावे ।
15. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र द्वारा कोर्स–वर्क की गतिविधियों की जानकारी तथा शोधार्थी की शोध केन्द्र में उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर पी–एच.डी. सेल, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
16. यह कि उपर्युक्त कंडिका 13 अनुसार शोध केन्द्र द्वारा शोधार्थी की उपस्थिति की जानकारी हेतु उपस्थिति पत्रक विश्वविद्यालय पी–एच.डी. सेल को प्रत्येक माह प्राप्त नही होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी। जिसके लिए संबंधित शोध केन्द्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।
17. अध्यादेश–45 के प्रावधानानुसार मान्य विश्वविद्यालय से एम.फिल उत्तीर्ण योग्य आवेदकों को विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा एम.फील की मूल अंकसूची की जॉच पश्चात् अनुशंस ा पर कोर्सवर्क से छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान है ऐसे आवेदक विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार शोध निर्देशक के निर्देशन में शोध रूपरेखा तैयार करेंगे ।
18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे पी–एच.डी. कोर्स–वर्क से छूट प्राप्त है वे भी नियमतः संबंधित शोध केन्द्र में कोर्स–वर्क की कक्षाये पूरी कर पी–एच.डी. कोर्स–वर्क की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है ।
19. कोरोना संकट को देखते हुये समस्त शोध केन्द्र कोरोना से रोकथाम हेतु जारी शासन के नियमों एवं निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करें ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 985/अधिष्ठाता/शोध/2021 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र/प्रचार्य समस्त संबंध महाविद्यालयों को सूचनार्थ की उक्त पत्र से शोधार्थियों एवं शोध निर्देशकों को अनिवार्य रूप से अवगत करावे एवं महाविद्यालय के नोटिस बोड में लगाना सुनिश्चित करें ।
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

<u>महाविद्यालय का नाम</u>

<u>विभागीय शोध समिति **(DRC)** की बैठक में चयनित अभ्यर्थियों की सूची</u>

विषय :...

शोध समिति (RDC) की बैठक दिनांक ....

क्र.	शोधार्थी के नाम	वर्ग	शोध निर्देशक का नाम पद का नाम कार्यरत महाविद्यालय का नाम	सह–शोध निर्देशक का नाम पद का नाम कार्यरत महाविद्यालय का नाम	शोध केन्द्र का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

प्राचार्य
(हस्ताक्षर एव ंसील)